

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या : 587/2024

दशरथ सिंह बनाम बहादुर सिंह

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही 23.10.2024	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>यह दावा अधिवक्ता श्री उमाशंकर चौधरी द्वारा याचक घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निपेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। निर्देशित किया जाता है कि आदेश 5 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से प्रतिवादियों को सम्मन जरिये रजि. डाक करायी जावें, इस हेतु सम्मन जारी होकर वादी को दस्ती दिया जावें। वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को उनकी संख्या के अनुसार सादे कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां इस आदेश की तिथि से सात दिवस के भीतर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश हो।</p> <p>उपर्युक्तानुसार सम्मन जारी होकर इन्तजार तामील दिनांक 07. 11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	

मी॥२५

पत्रावली पेश हुई वनील वादी उप.  
इन्तेजार तामील पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)

31

18/11/24

पत्रावली पेश हुई वनील वादी उप.  
इन्तेजार तामील पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो।